

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2024/233

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्रशासन गोंवों के संग
अभियान - 2021 ✓

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रहड के जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 674 में पेश नाम खाना / भागूता है। जबकि मेरा वास्तविक नाम कन्हैयालाल / भागीरथ है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:-

कन्हैयालाल प्रार्थी
(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम रहड के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 674 में प्रार्थी का नाम खाना / भागूता दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम कन्हैयालाल / भागीरथ है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि.

कन्हैयालाल
पटवारी (शा.रा.रा.प.)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार श.ह. शाहपुरा (मोन.)

प्रार्थी द्वारा रा.भू.रा.अ. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी रहड व भू.अ.नि. कन्हैयालाल एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम रहड की जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 674 में प्रार्थी का नाम खाना / भागूता के बजाय कन्हैयालाल / भागीरथ किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

जा.जं. 171/22
10/06/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम रहड जमाबन्दी सम्बत् 2076-79 खाता

संख्या 674 में दर्ज प्रार्थी का नाम खाना / भागूता के स्थान पर कन्हैयालाल / भागीरथ संशोधन आदेश दिये जाते हैं।



कन्हैयालाल
उपखण्ड अधिकारी
प्रभारी (शा.रा.रा.प.)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)